भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5163
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

राजस्थान में खनन

5163. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की खनन नीति का ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या व्यवस्था है;
(ख) क्या सरकार का राजस्थान राज्य के बालोतरा जिले के सिवाना, मोकलसर और सिणधरी क्षेत्रों में खनन करने का विचार है, जिनकी भूविज्ञान विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आर्थिक विकास और सामरिक मांग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मोनाजाइट, यूरेनियम, थोरियम, निकोडियन सहित 16 दुर्लभ और कीमती खनिजों के भंडार वाले स्थानों के रूप में पहचान की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या बाड़मेर जिले और बाड़मेर, जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जैसलमेर में सर्वेक्षण के दौरान इसी प्रकार खनिज भंडार पाए गए हैं;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्तावित कार्य योजना क्या है;
(छ) बजरी खनन नीति का ब्यौरा क्या है; और
(ज) बाड़मेर जैसलमेर में खनन पट्टों के आवंटन की वर्तमान स्थिति क्या है और खनन कार्य शुरू करने की प्रगति और योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): खान विनियमन और खनिज विकास, उस सीमा तक जिस तक संघ के नियंत्रणाधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि संख्या 54 के अनुसार संघ के

नियंत्रणाधीन है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) अधिनियमित किया है।

(ख) से (घ): संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनिज रियायतें दी जाती हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान राज्य के बालोतरा जिले के सिवाना, मोकलसर और सिणधरी क्षेत्रों में विभाग द्वारा 16 दुर्लभ और बहुमूल्य खनिजों के ऐसे किसी भंडार की पहचान नहीं की गई है। इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान आरईई के लिए केवल प्रारंभिक भूवैज्ञानिक जांच की है, जो क्षेत्र में आरईई संसाधन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ङ) और (च): परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने राजस्थान के बालोतरा (तत्कालीन बाड़मेर) जिले में सियावाना रिंग कॉम्प्लेक्स में विस्तृत गवेषण कार्य शुरू किया है। इसके अलावा, एएमडी ने बालोतरा (तत्कालीन बाड़मेर) जिले में भाटीखेड़ा क्षेत्र की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने कार्य सत्र 2021-22 से 2024-25 तक राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में आरईई-आरएम, फॉस्फोराइट, चूना पत्थर, स्ट्रोंटियम और स्कैंडियम जैसे खनिज पदार्थों के लिए 36 गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। इन गवेषण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, जीएसआई ने जैसलमेर में चूना पत्थर के लिए संसाधन और राजस्थान के बाड़मेर जिलों में आरईई के लिए संसाधन सिद्ध किए हैं।

इसके अलावा, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नौसर-बामनी ढाणी-दंडाली ब्लॉक, बालोतरा, राजस्थान में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के लिए जी3 स्तर का गवेषण कार्य शुरू किया है।

(छ): एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3(ङ) के अनुसार बजरी गौण खनिज है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतें देने को विनियमित करने तथा उनसे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों ने गौण खनिज रियायत नियम बनाए हैं। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कोई बजरी खनन नीति लागू नहीं की गई है तथा केवल सतत खनन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(ज): भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में खनन पट्टों का खनिज-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जिला	खनिज	खानों की संख्या*
बाड़मेर	सेलेनाइट	3
	सिलिकायुक्त मृदा	8
जैसलमेर	चूना पत्थर	4
	सिलिकायुक्त मृदा	9

*परमाणु, गौण और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न।

*****